News item/letter/article/editorial published on January 25.1.2017 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Monitor clean-up of Ganga, NGT told

For 30 Years, SC Kept Eye On Project

Dhananjay Mahapatra & Amit Anand Choudhary | TNN

New Delhi: After a frustrating three decades of monitoring government efforts to clean the Ganga, the Supreme Court decided on Tuesday to entrust the task to National Green Tribunal (NGT) even as petitioner and Magsaysay award winner M C Mehta contested the Centre's "tall claims" on making the river pollution free.

The SC had earlier asked the NGT to monitor efforts to reduce pollution in the river caused by discharge of untreated industrial effluents. On Tuesday, it said the NGT would also monitor discharge of untreated sewage into the river. A bench headed by Chief Justice J S Khehar asked the NGT to furnish a report in six months to the SC on progress of work on both fronts— controlling flow of untreated industrial effluents and municipal sewage into the river.

The Centre, through solicitor general Ranjit Kumar, presented an update to the court on the work initiated by the government through the integrated 'Namami Gange' project with an outlay of Rs 20,000 crore, which was approved by the Union Cabinet in January 2016.

FAR FROM CLEAN

On municipal sewage management front, the Centre said it had entrusted pre-feasibility studies and condition assessment in 118 identified towns to five central public sector undertakings. It claimed to have received reports on 84 towns. "Development of 82 million litres per day (MLD) sewage treatment plants (STPs) in Haridwar and 50 MLD in Varanasi on hybrid annuity-based PPP mode have been taken up on priority basis and bids were invited on December 31 last year," the Centre said.

In October 2014, the SG had told the SC that to stop industrial effluents, responsible for 30% of pollution in Ganga, the NDA government was committed to achieve zero liquid discharge (ZLD) from industries by March 31, 2015 by putting identified industries to strict notice.

More than two years later, the Union government said, "Diagnostic and feasibility studies have been carried out by National Mission for Clean Ganga and it suggests ZLD based Common Effluent Treatment Plants (CETPs) as a reliable and environmentally sound option for effluent management for small scale industries in Ganga basin."

Of the 456 tanneries identified to be polluting Ganga in its flow through UP, only 1]t4 have been dismantled. Among the 442 functional tanneries, 437 units divided in three clusters—Kanpur (400), Banther (23) and Unnao (14)—are connected to CETPs but all three CETPs are non-compliant of Central Pollution Control Board norms, the Centre said.

It said ZLD was achieved in 17 of the 27 distillery units and closure orders were passed for nine but only one was closed. Mehta took the opportunity to inform the court that tall claims of the Centre to clean the river of pollutants remained mostly on paper and the water quality had not improved.

The Centre said the ministry of drinking water and sanitation had provided Rs 578 crore to undertake rural sanitation activities in 1651 gram panchayats. In October 2014, the SC had given vent to its frustration in making governments work according to their promise to clean the Ganga. It had found that though Rs 4,000 crore was spent during Ganga Action Plans I & II, there was no improvement in water quality. Mehta had complained of rising arsenic and mercury levels in Ganga posing grave threat to lives.

3
Covering L., Yi:

News item/letter/article/editorial published on January-25.1.2017 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi) ✓
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

31 जनवरी को गंगासिंह चौक पर धरना

पानी के लिए धरना देंगे किसान

पत्रिका-25-1-17

किसान संगठनों ने कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

श्रीगंगानगर. गंगनहर में पानी बढ़ाने के बारे में प्रशासन एवं जल संसाधन विभाग से ठोस आश्वासन नहीं मिलने पर किसान संगठनों ने 31 जनवरी को गंगासिंह चौक पर धरना देने की घोषणा की है। गंगनहर में मंगलवार को पानी घटकर 971 क्यूसेक रह गया जबकि जल संसाधन ने जनवरी माह के लिए 1200 क्यूसेक का इण्डेंट भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को भेजा था।

गंगनहर में रविवार से पानी घटना शुरू हुआ था। उसके बाद पानी कम होना जारी है। मंगलवार को पानी घटकर 971 क्यूसेक हुआ तो कई नहरें बंद हो गई। पानी घटने के साथ ही किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। गुरुद्वारा श्रीगुरुसिंह सभा में मंगलवार को विभिन्न किसान संगठनों की बैठक हुई, इसमें पानी की ताजा स्थिति पर विचार हुआ। बैठक में मौजूद किसान संगठनों के पदाधिकारियों का कहना था कि दिसम्बर माह में राजस्थान फीडर एवं फिरोजपुर फीडर के कॉमन बैंक में आए कटाव के बाद गंगनहर में पानी के उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। बारी सूखी जाने से गेहूं की फसल सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। बैठक में जनवरी माह के लिए 1200 क्यूसेक का इण्डेंट भेजने पर जल संसाधन विभाग के प्रति रोष जताया गया।

वार्ता में बात नहीं बनी

बैठक के बाद किसान संगठनों के पदाधिकारी जिला कलक्टर से मिले और उन्हें गंगनहर में पानी की स्थिति से अवगत कराया। इस पर कलक्टर ज्ञानाराम ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता से बात की। लेकिन कोई बात नहीं बनी। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पानी बढ़ाने का आश्वासन तो दिया परन्तु वह यह नहीं बता सके कि पानी कितना और कब बढ़ेगा। कलक्टर के साथ वार्ता में समस्या का समाधान नहीं होने पर किसान संगठनों ने 31 जनवरी को गंगासिंह चौक पर धरना देने की घोषणा की है। कलक्टर से मिलने वाले शिष्टमंडल में पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष पृथीपाल सिंह संधू, पूर्व सरपंच संतवीर सिंह मोहनपुरा, सुभाष सहगल, रणजीत सिंह राजू व अन्य शामिल थे।

News item/letter/article/editorial published on January 25, 2017 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi) ✓
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

गंगा सफाई का 32 साल पुराना मामला एनजीटी को भेजा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गंगा सफाई से जुड़ा 32 साल पुराना मामला एनजीटी को भेज दिया है। 1985 में दायर याचिका को एनजीटी के पास भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल-दर-साल हमारे लिए इस पर निगरानी संभव नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि ठोस कचरा और औद्योगिक प्रदूषण के मसले पर एनजीटी 2014 से सुनवाई कर रहा है लिहाजा गंगा के प्रदूषण के अन्य कारकों को भी एनजीटी द्वारा सुना जाना चाहिए। पीठ ने एनजीटी को हर छह महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

कोर्ट पर्यावरणविद् एमसी मेहता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि किसी तरह की परेशानी होने पर वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। **(वि.सं.)**

25-1-17

News item/letter/article/editorial published on January 25, 2017 in the

Hindustan Times	Nav Bharat Times (Hindi)	M.P.Chronicle
Statesman	Punjab Keshari (Hindi)	Aaj (Hindi)
The Times of India (N.D.)	The Hindu	Indian Nation
Indian Express	Rajasthan Patrika (Hindi)	Nai Duniya (Hindi)
Tribune	Deccan Chronicle	The Times of India (A)
Hindustan (Hindi)	Deccan Herald	Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

गंगा सफाई मामला NGT को ट्रांसफर

नभटा- 25-1-17

■ विस, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई मामले को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को ट्रांसफर कर दिया। गंगा सफाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में दशकों से चल रहा था अब मामला एनजीटी सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि म्युनिसिपल सॉलिड और इंडस्ट्रियल वेस्ट का मामला पहले ही एनजीटी में पेंडिंग है ऐसे में बाकी मामले जैसे डोमेस्टिक सीवेज और अन्य मामले भी एनजीटी सुनेगी।

एनजीटी पहले से ही गंगा सफाई मामले में म्युनिसिपल सॉलिड व अन्य मामलों की रोजाना सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता एमसी मेहता को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की लिबर्टी दी है कि उन्हें अगर मामले में कोई शिकायत होगी तो वह कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मेहता ने मामले को एनजीटी ट्रांसफर किए जाने के मामले में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि एनजीटी के पास कोई आदेश का पालन कराने का मैकेनिज्म नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि एक्ट पेनाल्टी का प्रावधान करता है और अगर एनजीटी के आदेश का पालन नहीं होता है तो तमाम दंडात्मक प्रावधान हैं।

उमा ने साधु-संतों से की अपील : जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने साधु-संतों से गंगा सफाई की मुहिम में जुड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि साधु-संतों के इस मुहिम से जुड़ने का एक अलग ही महत्व होगा और यह लोगों को जागरूक करने में खासा मददगार साबित होगा। उमा ने यह बात मंगलवार को गुरुग्राम में नैशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के नए कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर कहीं। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय इस बात के पुख्ता इंतजाम करने जा रहा है कि गंगा में किसी भी तरह की गंदगी न जा पाए और उसकी अविरलता कायम रहे। उमा के मुताबिक, गंगा पर घाट बनाने और सीढ़ियों की मरम्मत के काम में जनता के साथ ही साधु-संतों को भी आगे आना चाहिए। साधु-संतों के गंगा को बचाने के लिए आगे आने से इस काम को नई ऊर्जा मिलेगी।

Covering L., YIS